(1)

Rohini Developer & Real Estate Agents
Protection of Interest Welfare Association

Office : E-15/92, Sector-8, Rohini, Delhi-85 Ph.: 9811191304
9811937347, 9818596186, 9312607666, 9811204780

permission for joining of small plots in Rohini Project under Master Plan Review

Ref. No. .... Date 17-11-2011

...ctor (Plg.) MPR/TC,
D.A. Vikas Minar N. DELHI-2
...y. No. 901
...ated 17-11-11

सेवा में,

श्रीमान केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री जी, / Director Planning (M.P.R.) 6th Floor, Vikas Minar Delhi

भारत सरकार

विषयः रोहिणी परियोजना के प्लाटों के जोड़ों के नक्शे पास करने के सम्बंध में मास्टर प्लान में संशोधन हेतू

महोदय,

दिल्ली में रोहिणी परियोजना की अलाटमैन्ट 1982 में हुई थी जिसमें अधिकतर निम्न वर्ग के लोगों को प्लाट दिए गए थे। प्लाटों का साईज 26 मी., 32 मी., 48 मी. तथा 60 मी. के हैं जिसमें एक कमरा नीचे एक कमरा ऊपर बनता है। इस अलाटमैन्ट को लगभग 28 साल हो गए इससे जो लोग रहने वाले हैं उनके सभी परिवारों में बढ़ोतरी हुई है, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं की छोटे मकानों को जोड़ कर बनाने की इजाजत दी जाए क्योंकि इससे पहले भी D.D.A. ने जोड़ों को फ्री होल्ड किया था और M.C.D. ने भी जोड़ों के 4 मंजिलों के नक्शे पास किए थे जिसकी प्रति हमारे पास भी है। अब D.D.A. तथा M.C.D. दोनों ही जोड़े बनाने में दिक्कत कर रहे हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि इसको मास्टर प्लान में लाया जाए इससे विभिन्न विभागों में पनप रहा भ्रष्टाचार भी समाप्त होगा और आम जनता को राहत मिलेगी। जिसके लिए आम नागरिक आपके आभारी रहेंगे।

धन्यवाद सहित

चेयरमेन	प्रधान	महामंत्री
भुपेन्द्र रावत	विजयपाल	सतीश दुल

DD(MPR) 21/11

AD-II